

आज पत्रावली पेश हुई। वकील
बाद एवं वादीगण को आवाज लगाई
गयी किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
पत्रावली इन्तजार में रखी गयी। इसके
पश्चात् न्यायालय समक्ष समाप्ति के पूर्व
वादीगण एवं उनके वकील को रुक-रुक
कर कई बार आवाज लगाई गयी किन्तु
कोई उपस्थित नहीं आया। इससे ऐसा
प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वादपत्र
को चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः
वादीगण का वादपत्र वादीगण को अदम
हाजरी व अदम पैरवी में स्वाहज किया
जाता है। पत्रावली कैसल भुमार होकर
भण्डार लेख है।

आदेश सुनाया गया।

क
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा